राजस्व अपील संख्या 191/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती कमला पुत्री स्व0 मोतीराम पत्नी उकाराम जाति सरगरा निवासी सरगरो का बास, नन्दवान तहसील लूनी, जिला जोधपुर 2– श्रीमती शांति पुत्री स्व0 मोतीराम पत्नी हरचंदराम जाति सरगरा निवासी सरगरो का बास, नन्दवान तहसील लूनी जिला जोधपुर		1– चन्द्राराम पुत्र स्व0 मोतीराम 2– घेवरराम पुत्र स्व0 मोतीराम 3– मगाराम पुत्र स्व0 मोतीराम 4– कालूराम पुत्र मानाराम 5– श्रीमती कमला पत्नी मानाराम 6– हडमानराम पुत्र कानाराम 7– भागीरथ पुत्र कानाराम 8– राधा पत्नी कानाराम 9– शंकर पुत्र सोमजी समस्त जातियान सरगरा निवासी गांव गुडा विश्नोईयान तहसील लूनी, जिला जोधपुर 10–सरपंच ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान,तहसील लूनी जिला जोधपुर 11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लूनी जो राजस्व अपील संख्या 46/2012 अनवान श्रीमती कमला वगैरा बनाम चन्द्राराम वगैरा मे दिनांक 27–6–2014 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री धनपत चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री मानाराम पटेल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
3– श्री नवल सिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 11 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नही ।

निर्णय

दिनांक 28–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुडा विश्नोईयान के नामांतरकरण संख्या 394 एवं 569 मे वर्णित खातेदारी भूमि के सह खातेदार मोतीराम, रामचंद्र, शंकर पि0 ओमाराम सरगरा था । उक्त खातेदारान मे से सह खातेदार मोतीराम के फोत होने पर मोतीराम के जायंदा पुत्रो चन्द्राराम, घेवरराम, मांगीलाल एवं मगाराम के नाम सरपंच ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान द्वारा स्वीकृत किया गया । जबकि मृतक खातेदार मोतीराम के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान मे दो पुत्रियां वर्तमान अपीलांटगण भी थी परंतु उक्त दोनो अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति से पूर्व विधिक वारिसान की जांच किये बिना केवल पुत्रो के नाम दर्ज कर दिया तथा पुत्रियो को अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित कर दिया, उक्त दोनो म्युटेशनो की जानकारी अपीलांटगण को होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील पेश की गई तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद

उपखण्ड अधिकारी लूनी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2014 के द्वारा अपीलांटगण की अपील को स्वीकार करते हुए उक्त दोनो म्युटेशन संख्या 394 एवं 569 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को मृतक मोतीराम के वारिसान की जांच करे तथा वारिसान द्वारा उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत विधिवत उतराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर पेश किये जाने पर नामांतरकरण की नये सिरे से कार्यवाही करें साथ ही मृतक के दो अलग अलग फोतेदगी म्युटेशन किन कारणो से खोले गये राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जांच भी कर लें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तताान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान द्वारा नामांतरकरण संख्या 394 भरा जाकर स्वीकृत किया गया है जिससे अपीलांटगण का नाम उक्त नामांतरकरण मे दर्ज नही किये जाने की अवस्था मे उक्त नामांतरकरण के आधार पर अपीलांटगण के अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है तथा अपीलांटगण अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित हो गई है, ऐसी अवस्था मे उक्त नामांतरकरण संख्या 394 व 569 को निरस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मोतीराम के वारिसान के संबंध मे उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत विधिवत उतराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से पेश किये जाने पर नामांतरकरण की नये सिरे से कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि तहसीलदार स्वयं वारिसान के संबंध मे जांच करने हेतु सक्षम है , ऐसी स्थिति मे उक्त सशर्त आदेश विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय का उक्त सशर्त आदेश निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांटगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा ग्राम पंचायत गुडा विश्नोईयान द्वारा स्वीकृत उक्त दोनो नामांतरकरण संख्या 394 एवं 569 को निरस्त कर स्व0 मोतीराम के वारिसान की जांच कर अपीलांटगण जो मृतक खातेदार मोतीराम की पुत्रियां है, उनका भी नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सशर्त आदेश कि "मृतक मोतीराम के वारिसान द्वारा उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत विधिवत उतराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से पेश किये जाने पर नामांतरकरण की नये सिरे से कार्यवाही करने के आदेश" को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता ने भी अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के द्वारा "अपीलांटगण की अपील को स्वीकार करते हुए उक्त दोनो म्युटेशन संख्या 394 एवं 569 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को मृतक मोतीराम के वारिसान की जांच करे" यहां तक के आदेश को यथावत रखने तथा उसके आगे का

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अन्तर्गत विधिवत उतराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर पेश किये जाने पर नामांतरकरण की नये सिरे से कार्यवाही करें साथ ही मृतक के दो अलग अलग फोतेदगी म्युटेशन किन कारणो से खोले गये राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जांच भी कर लें ।" उक्त आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लूनी को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त दोनो ही म्युटेशन उतराधिकार के म्युटेशन है तथा रेस्पो0गण मृतक खातेदार मोतीराम के पुत्रो ने यह नही कहा है कि अपीलांटगण मृतक खातेदार मोतीराम की पुत्रियां नही है । ऐसे मे विरासत के म्युटेशन मे सक्षम न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने की शर्त समर्थन योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे आंशिक संशोधन किया जाने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में "अपीलांटगण की अपील को स्वीकार करते हुए उक्त दोनो म्युटेशन संख्या 394 एवं 569 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को प्रतिप्रेषित करते हुए मृतक मोतीराम के वारिसान की जांच करे तथा वारिसान द्वारा उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत विधिवत उतराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर पेश किये जाने पर नामांतरकरण की नये सिरे से कार्यवाही करें साथ ही मृतक के दो अलग अलग फोतेदगी म्युटेशन किन कारणो से खोले गये राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जांच भी कर लें।" पारित किया गया है। हमारे विनम्र मत में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच करने, राजस्व रेकर्ड की जॉच करने तदुपरान्त नये सिरे से नामा0 दर्ज करने के सम्बन्ध में उचित प्रतीत होता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में "उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किये जाने पर ही नामा0 की कार्यवाही करने का जो अंकन किया गया है, वो विधि अनुकूल उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि "अपीलांटगण की अपील को स्वीकार करते हुए उक्त दोनो म्युटेशन संख्या 394 एवं 569 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार लूनी को प्रतिप्रेषित करते हुए मृतक मोतीराम के वारिसान की जांच कर नये सिरे से विधिवत नामांतरकरण की कार्यवाही करें।" निर्णय आज दिनांक 28–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर